शिक्षा के लिए विकलाँगता मानक 2005 (*Disability Standards for Education 2005*) की 2020 की समीक्षा का सारांश

2020 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने *शिक्षा के लिए विकलाँगता मानक 2005 (मानकों)* (*Disability Standards for Education 2005*) (the Standards) की समीक्षा की है। ये मानक यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थी उन विद्यार्थियों की तुलना में समान स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं होते हैं। इसमें प्रीस्कूल, स्कूल, वोकेशनल एजुकेशन (व्यावसायिक शिक्षा) और प्रशिक्षण, तथा उच्च शिक्षा शामिल है। मानक *विकलाँगता भेदभाव अधिनियम 1992 (Disability Discrimination Act 1992)* के अधीन शिक्षा प्रदाताओं की जिम्मेदारियों का वर्णन करते हैं।

मानकों की 2020 की समीक्षा के दौरान, हमने विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों, साथ ही उनके माता-पिता और देखभालकर्ताओं तथा विकलाँगता पक्षसमर्थनक समूहों के विचार सुने। हमने शिक्षकों और शिक्षा प्रदाताओं के विचार भी सुने। समीक्षा का लक्ष्य एबोरिजनल और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी विद्यार्थियों तथा उनके परिवारों के अनुभवों पर ध्यान देना था।

हमने यह जाना कि मानकों के कुछ भागों को बदलने की ज़रूरत है तथा और अधिक लोगों को मानकों के बारे में जानने और इन्हें समझने ली आवश्यकता है। हमने यह भी सुना कि हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरा है कि मानकों का अनुपालन किया जाता है। चार क्षेत्र जिनमें बदलाव किए जाने की ज़रूरत है, उनका विवरण नीचे किया गया है।

विकलाँगत से ग्रस्त विद्यार्थियों और उनके परिवारों को सशक्त बनाना और उनका समर्थन करना

विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों और उनके माता-पिता तथा देखभालकर्ताओं ने हमें बताया है कि उनके और शिक्षा प्रदाताओं के बीच अधिकारों का असंतुलन है। उन्हें लगता है कि कानून और शिक्षा प्रणाली को समझना उनकी जिम्मेदारी है ताकि वे यथोचित समायोजनों का पक्षसमर्थन कर सकें।

क्या बदलाव होगा	हम यह कैसे करेंगे
विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए जानकारी	• विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के अधिकारों का वर्णन करने वाले मानकों से सम्बन्धित जानकारी उत्पाद विकसित करने के लिए विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के साथ काम करके • यह सुनिश्चित करके कि यह जानकारी विद्यार्थियों और उनके परिवारों को विद्यार्थी के जीवन के प्रासंगिक चरणों में प्रदान की जाती है।
विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों और उनके परिवारों के साथ सलाह-मश्विरा करने तथा मामलों व शिकायतों का प्रबंधन करने	• यह विवरण देने के लिए मानकों में बदलाव करना कि शिक्षा प्रदाता किस प्रकार: o विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों और उनके परिवारों के साथ उनके लिए आवश्यक समर्थनों और समायोजनों के बारे में सलाह-मश्विरा करें o विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों से सम्बन्धित मामलों और शिकायतों का प्रबंध करें।
विद्यार्थियों के स्कूल बदलने पर जानकारी साझा करना	• जब विद्यार्थी किसी एक स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करे या प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा में स्थानांतरण करे तो यह ध्यान देना कि उसकी ज़रूरत के बारे में प्रासंगिक जानकारी [illegible]

शिक्षकों और प्रदाताओं के ज्ञान और उनकी क्षमता को मज़बूत करना

लोगों ने हमें बताया है कि कई शिक्षक मानकों के अधीन अपनी जिम्मेदारियों से अवगत नहीं हैं अथवा उनके पास इन जिम्मेदारियों को लागू करने के लिए जानकारी नहीं है। विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों का अनुभव उस परिस्थिति में बेहतर होता है जब उनके शिक्षकों और शिक्षा प्रदाताओं को मानकों की अच्छी समझबूझ होती है और उन्हें यह पता होता है कि मानकों का अनुपालन कैसे करना है।

क्या बदलाव होगा	हम यह कैसे करेंगे
शिक्षा प्रदाताओं के लिए जानकारी	• शिक्षा प्रदाताओं की जिम्मेदारियाँ बताने वाले मानकों से जुड़े जानकारी उत्पाद विकसित करके। • विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों का समर्थन करने में अच्छे अभ्यास की उदाहरणें प्रदान करके।
स्कूल के अध्यापकों और मार्गदर्शकों के लिए मानकों से सम्बन्धित प्रशिक्षण	• सभी राज्य और राज्य-क्षेत्र सरकारों से यह सुनिश्चित करने का निवेदन करके कि सभी स्कूल अध्यापकों और मार्गदर्शकों को मानकों से सम्बन्धित उचित प्रशिक्षण मिलता है तथा विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों का समर्थन करके, इसमें उनके नौकरी करना शुरू करने से [illegible]

उच्च शिक्षा की नीतियों अग्र अभ्यासों में मानकों को शामिल	• यह सुनिश्चित करके कि मानकों को उच्च शिक्षा प्रदाताओं की नीतियों और कार्यप्रणालियों में शामिल किया जाता है।

पूरी शिक्षा के दौरान मानकों के लिए और अधिक जवाबदेही

लोगों का कहना था कि यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही में सुधार किए जाने की ज़रूरत है कि मानकों का अनुपालन किया जाता है। उन्हें इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए थी कि शिक्षा प्रदाता मानकों का अनुपालन कैसे करते हैं।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल (Early Childhood Education and Care - ECEC) क्षेत्र में जागरूकता और क्षमता का निर्माण करना

क्या बदलाव होगा	हम यह कैसे करेंगे
यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा नीतियाँ मानकों से मेल खाती हैं	• यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों के साथ काम करना कि शिक्षा प्रदाताओं पर लागू नियम और नीतियाँ मानकों के साथ संरेखित हैं।
विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बेहतर बनाना	• व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में किए जाने वाले अन्य बदलावों के भाग के तौर पर, विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुपुर्दगी को बेहतर बनाने के लिए राज्य एवं राज्य-क्षेत्र की सरकारों के साथ काम करके।
इस बारे में और अधिक जन सूचना कि स्कूल किस प्रकार विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों	• स्कूली शिक्षा प्राधिकरण-वर्गों के लिए यह आवश्यक बनाकर कि वे अपने स्कूलों द्वारा विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं और समर्थनों का वर्णन देने वाली जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालें।
विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों से सम्बन्धित डाटा और रिपोर्टिंग	• विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थी स्कूली शिक्षा में कैसे भाग लेते हैं, इस बारे में डाटा एकत्रित करने और उसपर रिपोर्टिंग करने के राष्ट्रीय सिद्धांत तथा अभ्यास विकसित करने के लिए राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों के साथ काम करके।
यह जाँच करना कि मानकों का अनुपालन कितनी अच्छी तरह किया जाता है	• राज्य एवं राज्य-क्षेत्र की सरकारों से यह निवेदन करके कि इस बात का ऑडिट (लेखा-परीक्षण) किया जाए कि मानकों का अनुपालन कितनी अच्छी तरह किया जाता है।

मानक वर्तमान में चाइल्ड केयर प्रदाताओं पर लागू नहीं हैं, परन्तु इन प्रदाताओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे *विकलाँगता भेदभाव अधिनियम 1992 (Disability Discrimination Act 1992)* (DDA) का अनुपालन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत समर्थन है कि ECEC शिक्षक और प्रदाता DDA के अधीन अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझें। हमने यह भी सुना कि माता-पिता और देखभालकर्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी चाहिए है।

क्या बदलाव होगा	हम यह कैसे करेंगे
माता-पिता और उनके देखभालकर्ताओं के लिए उनके बच्चों के अधिकारों के बारे में	• ECEC में शामिल विकलाँगता से ग्रस्त बच्चों के अधिकारों के बारे में माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए उत्पाद विकसित करके।
ECEC प्रदाताओं के लिए जानकारी	• ECEC के प्रदाताओं के लिए संसाधन विकसित करने हेतु राज्य एवं राज्य-क्षेत्र की सरकारों के साथ काम करके और यह सुनिश्चित करके कि ECEC प्रदाताओं को DDA की जानकारी और समझ है।
यह सुनिश्चित करना कि ECEC की नीतियाँ DDA से मेल खाती हैं	• यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों के साथ काम करना कि ECEC प्रदाताओं पर लागू सभी नियम और नीतियाँ DDA के साथ संरेखित हैं।
ECEC को शामिल करने के लिए मानकों में बदलाव करना	• ECEC को शामिल करने के लिए मानकों को बदलकर और बदलावों के बारे में ECEC क्षेत्र से सलाह-मशविरा करके।

बदलाव करने

यहाँ सूचीबद्ध कुछ बदलाव ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपने आप से कर सकती है, परन्तु कई बदलाव ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए राज्य एवं राज्य-क्षेत्र सरकारों की सहमति और उनपर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ मिलकर काम करना आवश्यक होगा। कुछ

बदलावों के लिए यह आवश्यक होगा कि राज्य एवं राज्य-क्षेत्र की सरकारें तथा स्कूलों का संचालन करने वाले शिक्षा प्राधिकरण बदलाव या कुछ नया करें।

बदलाव विकलाँगता से ग्रस्त लोगों की सहायता और सलाह के साथ किए जाएँगे इसमें एबोरिजनल और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों व समुदायों के साथ काम करना शामिल होगा।

इन बदलावों पर प्रगति के बारे में हम समुदाय को अप-टू-डेट रखना (नवीन जानकारी देना) जारी रखेंगे।

और अधिक जानकारी के लिए, www.dese.gov.au/disability-standards-education-2005/2020-review-disability-standards-education-2005 देखें।